

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

अपर सदस्य सचिव,
राज्य योजना आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

नियोजन अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक: 13 जनवरी, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आयोजनेत्तर पक्ष में पुनर्विनियोग की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड के पत्र सं०-1617/तीन-1(10) रा०यो०आ/2016 दिनांक 02.12.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय आय-व्ययक 2016-17 अनुदान संख्या-7 के अधीन लेखा शीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-17 किराया उपशुल्क मानक मद में संलग्न बी०एम०-09(भाग-101) के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु लेखाशीर्षक-3451-092-03 के अन्तर्गत मद संख्या-46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय मानक मद में रू० 200 हजार (रू० दो लाख मात्र), 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद में रू० 200 हजार (रू० दो लाख मात्र) एवं 07-मानदेय मद में संलग्न बी०एम०-09 के अनुसार बचत को व्यावर्तित करते हुए मद संख्या-06 अन्य भत्ते मद में रू० 200 हजार (रू० दो लाख मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रू० 600 हजार (रू० छः लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के कियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।
2. स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय का विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी०एम०-13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।
4. यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
5. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3451-सचिवालय आर्थिक सेवायें, 092-अन्य कार्यालय एवं 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय, 19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन मद संख्या-06 अन्य भत्ते मानक मद के नामें डाला जायेगा।
6. ऑनलाईन बजट आवंटन/पुनर्विनियोग प्रपत्र की प्रति संलग्न है।
7. यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशा० सं०-220NP/XXVII(5). दिनांक 11.01.2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।


भक्तदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

संख्या: 20 (1)/XXVI/एक(5)/2016 तददिनांकित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ देहरादून।
- 2- निदेशक, कोषागार, देहरादून।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
- 4- वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
- 5- एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- गार्ड फाईल

आज्ञा से,



(प्रताप सिंह शाही)

उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
(वित्तीय वर्ष 2016-2017)
बी.एम. - 09

अनुदान संख्या - 007
पुनर्विनियोग स्वीकृति आदेश संख्या - One(5)/2016

अलोटमेंट आईडी - R1612070242
दिनांक - 20-Dec-2016

(In Rupees)

क्रम संख्या	बजट प्राविधान तथा लेखासिर्षक (1)	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय (2)	वित्तीय वर्ष के अन्तर्नि में अनुमानित व्यय (3)	अवशेष सरकास समायोजित धनराशी (4)	लेखासिर्षक जिसमें धनराशी स्थानान्तरित की जाती है (5)	पुनर्विनियोग के बाद स्वयं -5 की कुल धनराशी (6)	पुनर्विनियोग के बाद स्वयं -1 में कुल धनराशी	अभियक्ति
1	3451 सचिवालय आर्थिक सेवार्ये 00 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान 00 नियोजन अधिष्ठान (Non Plan Voted)	6000000	4000000	2000000	3451 सचिवालय आर्थिक सेवार्ये 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान 00 नियोजन अधिष्ठान (Non Plan Voted)	1800000	4000000	
2	07 - मानदेय 17 - किराया, उपशुल्क और कर- योग	0	1000000	4000000	06 - अन्य भत्ते 19 - बिज्ञान, शिक्षा और विज्ञान व 46 - कम्प्यूटर हाईवेयर/साफ्टवेयर का योग	350000 300000	1000000	
				6000000				

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 133, 134 में उल्लिखित प्रावधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग किये जाने हेतु प्रपत्र 09 की मूल प्रति वित्तीय डाटा सेक्टर 23- लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून को उपलब्ध करायी